[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं.15/2017- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि. .... (अ).-- केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 361(अ) तारीख 13 मई, 2002 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना 28/2002-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 मई, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 1 और क्रम सं. 2 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

3. उक्त अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 354/39/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार